UPAG010056662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2402/2026

सौरभ उर्फ दर्शन सिंह पुत्र नन्दपाल सिंह निवासी– ग्राम रामगढ़ पोस्ट उम्मरगढ़, इमलिया थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद हाल पता– सी0एन0जी0 पम्प के पास, कालिन्दी बिहार थाना ट्रांस यमुना, आगरा उम्र करीब 23 वर्ष

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी

मु0अ0सं0: 172/2026
धारा–87,137(2) भारतीय न्याय संहिता
थानाः ट्रांस यमुना, जिला आगरा।

दिनांकः 05.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सौरभ उर्फ दर्शन सिंह की ओर से मु0अ0सं0 172/2026 धारा 87,137(2) भारतीय न्याय संहिता थाना ट्रांस यमुना जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता नन्दपाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता स्वयं घर से नाराज होकर कहीं चली गयी थी। अभियुक्त का पीड़िता के घर जाने या उसे ले जाने का कोई भी सहयोग नहीं है, न ही पीड़िता के विरूद्ध बलात्कार का आरोप है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त को घटनास्थल से मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी महावीर सिंह द्वारा थाना ट्रांस यमुना, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.05.2026 को उसकी पुत्री रात के 9–10 बजे घर से नाराज होकर कहीं चली गयी है, उसने अपनी रिश्तेदारी आदि में काफी तलाश की, परन्तु वह नहीं मिल सकी। उसकी आयु 16 वर्ष है।

वादी की तहरीर पर थाना ट्रांस यमुना आगरा पर मु0अ0सं0 172/2026 अन्तर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकी अंकित की गई।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की अवयस्क पुत्री को बहलाफुसलाकर उसका व्यपहरण किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अत : जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्क सुने तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी की अवयस्क पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले जाना आक्षेपित है।

केस डायरी के पर्चा संख्या–03 के अनुसार पीड़िता दिनांक 10.05.2026 को थाने पर आई।

केस डायरी में उद्धरित पीड़िता के शैक्षिक प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि दिनांक 06.01.2011 के अनुसार पीड़िता को कथित घटना के समय अवयस्क होना कहा गया है।

पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया कि '' उसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, वह दिनांक 01.05.2026 को रात समय करीब 09.30 बजे घर से बिना बताये चली गयी थी, वह ऑटो में बैठकर टूण्डला चली गयी थी, वहां पर उसे सौरभ मिला। वे कुछ दिन इधर उधर घूमे,उसके बाद दिनांक 05.05.2026 को उन्होंने मंदिन में शादी कर ली। कुछ दिन बाद पता चला कि उसके परिवार वालों ने थाने पर मुकदमा लिखा दिया है तो सौरभ उसे आगरा छोड़कर चला गया।''

अग्रेतर पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया गया है कि '' वह दिनांक 01.05.2026 को रात 09. 30 बजे अपनी मर्जी से घर से निकलकर ऑटो से टूण्डला गयी, जहां पर उसे

सौरभ मिला। वहां कुछ दिन 8–10 दिन वे इधर उधर घूमे, किसी न किसी मंदिर में रहे। दिनांक 05.05.2026 को उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। उसके साथ सौरभ ने कुछ नहीं किया।

यद्यपि पीड़िता द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के समय अपनी अन्दरूनी जांच कराने से इंकार किया गया है, परन्तु उपलब्ध प्रपत्रों से यह निर्विवादित है कि कथित घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी। पीड़िता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे बयानों में अभियुक्त के साथ जाने एवं दिनांक 05.05.2026 को उसके साथ शादी करने का कथन किया गया है। चूंकि पीड़िता कथित घटना के समय अवयस्क थी इसलिए उसके द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किये गये कथन के अनुसार अपनी मर्जी से अभियुक्त सौरभ के साथ जाने एवं उसके साथ रहने का कथन किये जाने का इस स्तर पर कोई विधिक मूल्य नहीं है। निर्विवादित रूप से पीड़िता अभियुक्त के साथ लगभग 10 दिन तक साथ रही है, जब कि वह अवयस्क थी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतएव मामले के समस्त तथ्यों के दृष्टिगत जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं एवं जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सौरभ उर्फ दर्शन सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
05.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.06 06:57:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court